पत्रांक–05 / न०वि० / विविध(EESL)–61 / 2017 161

झारखण्ड सरकार

OSP

नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक : 26/12/18

विषयः– चिरकुण्डा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश की व्यवस्था के अधिष्ठापन योजना के अन्तर्गत Central Control & Monitoring System के लिए आधारभूत संरचना एवं योजना पर्यवेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से चिरकुण्डा नगर परिषद को कुल रू० 2,71,913/- (दो लाख एकहत्तर हजार नौ सौ तेरह रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–5656 दिनांक–29.11.2018 द्वारा चिरकुण्डा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश की व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 95,79,509/–रू० लागत की योजना को प्रशासनिक स्वीकृती प्रदान की गयी है इस योजना के अन्तर्गत पारम्परिक स्ट्रीट लाईट के स्थान पर LED स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन हेतु व्यय राशि का वहन चिरकुण्डा नगर परिषद के द्वारा अपने आंतरिक स्रोत के माध्यम से किया जाएगा।

उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा Central Control & Monitoring System के लिए आधारभूत संरचना की लागत राशि 1,26,000/–रू० एवं योजना पर्यवेक्षण राशि 1,45,913/–रू० का भुगतान क्रमशः M/s Energy Efficiency Services Ltd एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची को चिरकुण्डा नगर परिषद के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।

2. उक्त क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से चिरकुण्डा नगर परिषद को कुल रू० 2,71,913/- (दो लाख एकहत्तर हजार नौ सौ तेरह रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–94–शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजना/ Urban Projects in Water Supply, Solid Waste Management, Sewerage & Drainage, Civic Infrastructure, Housing etc.– विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221780191940679 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी धनबाद कोषागार से की जाएगी जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद होंगे।

Rakesh/E/shail Sir/Major Urban Project 18-19-48

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व में उक्त योजना हेतु चिरकुण्डा नगर परिषद को कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित प्रतिवेदन शुन्य है।

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद सुनिश्चित करेंगे कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं का अनुपालन करते हुए आहरित राशि को नगरपालिका की लेखा में सम्मिलित करने के पश्चात नियमानुसार व्यय किया जाए एवं किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाए।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–05/न०वि०/विविध(EESL)–61/2017 ....161.... राँची, दिनांक– 26/12/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (प्रशासन) जुडको लिमिटेड, राँची/श्री कुणाल CMM को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Rakesh/E/shail Sir/Major Urban Project 18-19-49